

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

राजस्‍व विविध प्रकरण GCMS NO 2025 /

दायरा तिथि : 22.04.2025

आदेश तिथि : 25-04-25

प्रार्थी :-

रमेश कुमार पुत्र पुनाराम जाति मीणा निवासी मोरी तहसील बाली

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 25-04-25

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1293 रकबा 0.9200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1401/1294 रकबा 0.6540 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त स्रोतों में से निकटतम है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1401/1294	0.6540 हैक्टर	बारानी सोयम	85x9=765 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

4. यह कि निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 130000/- रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण में निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की गई। निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1293 रकबा 0.9200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकॉर्ड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

सहायक वकूलाय एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....02

//02//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025 /

अनवान रमेश कुमार बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1293 रकबा 0.9200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1401/1294 रकबा 0.6540 हैक्टर में से 765 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 130000/-रूपये प्रति हैक्टयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1401/1294	0.6540 हैक्टर	85X9=765 वर्गमीटर	13	9945X2=19890	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 19890/- (अक्षरे उन्नीस हजार आठ सौ नब्बे रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक/कोर्ट/2025/387-391
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक रमेश कुमार पुत्र पुनाराम जाति मीणा निवासी मोरी तहसील बाली को सूचनार्थ।

(दिनेश बिज्जौर)

सहायक उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली
25-04-25

सहायक उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 24/04/2025 05:51:27 AM


जिला : पाली

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : बेडा

पटवारी हल्का : दूदनी

ग्राम : मोरी बेडा स्टेशन



खसरा संख्या : 1401/1294 क्षेत्रफल : 0.6540 Hectare खाता संख्या : 1 पुराना खाता संख्या : 67
भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी दोयम [0.6540, 3.27]
राज. सरकार

[Signature]
ILR-Beds

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।